

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

देवरा

2/9
7/10 (24/11)
17/12

अजमेर अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अंराई (अजमेर)

गुदरका देवी पत्नि श्री श्रवण जाति जाट उग्र करीबन 80 साल निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई, जिला अजमेर

22/11/2021

20/10/21
12/11/21

बनाम

पारसी देवी पुत्री श्री रामनाथ पत्नि रोलूमल जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा तहसील अंराई, जिला अजमेर

5/11/21

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा :- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

वाद पत्र नंबर 89 / 2021

ऑनलाइन नंबर 2021 / 95

वकील वादी :- रागदेव गुर्जर

वकील प्रतिवादीगण रत्नप्रताप प्रसाद शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2021	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रागदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.12.2021 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)</p>	
28/11/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण प्रतिवादी व. 1,2,3,4,6,8,9 के तामीलशुदा व 5,7 के अदम तामील कोर्टपेशागिल मिसल प्रतिवादीगण की ओर से कोर्ट डफ. नहीं। P.O. का भवकाय पर पधारें। पत्रावली दिनांक 10/3/2022 को पेश हुई।</p>	
7/3/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौर/अपकार पर पधारें। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्य/पत्राव दिनांक 8/4/2022 को पेश हो।</p>	

उप
नाम
...

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
..... की ओर से कार्य रयमन रथा गया।
पत्रावली पूर्व अट्टेरातुकार दिनांक... 13/6/25 को
पेश हो।

13-6-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
P.O. सभम कुमर कार्य/पत्रावली/पेश/पक्षकारण
पर जारी। पत्रावली पूर्व अट्टेरातुकार
दिनांक 1-8-25 को पेश हो।

11845 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो

WP
उपखण्ड अधिकारी
उराई

26/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 21/10/25 को
पेश हो।

31/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 10/11/25 को
पेश हो।

10/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 10/11/25 को
पेश हो।

WP
उपखण्ड अधिकारी
उराई (उपखण्ड)

अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 89/2021

1. गुटखा देवी पत्नी श्री श्रवण (फौत)

1/1 मांगीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज०

-वादीगण

बनाम

1. पारसी देवी पत्नी रामनाथ पत्नी रोलूमल जाति जाट निवसी ग्राम हरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
2. बन्ना पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
3. शान्ति उर्फ छोटी देवी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
4. शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र रामनाथ जाति जाट निवसी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
5. सुण्डा उर्फ सुन्दर पुत्री रामनाथ पत्नी मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
6. सन्तोष उर्फ सन्तोक पुत्री रामनाथ पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
7. सुप्यार पुत्री रामनाथ पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
8. बैंक आफ बडौदा शाखा कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक ।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

अन्तिम डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53.188 राज.का. अधि. 1955-

मुकदमा नम्बर 89/2021

उपस्थित वकील वादी व वादी

निर्णय दिनांक 10.11.2025

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील रामदेव गुर्जर द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में वर्णित वर्णित कृषि भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित खाता संख्या 407 के खसरा संख्या 444 रकबा 1.2782 हैक्टैयर, खसरा संख्या 549 रकबा 1.2863 हैक्टैयर, खसरा संख्या 560 रकबा 1.3753 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 03.9398 हैक्टैयर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **By meets and bounds** के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया। दिनांक 9.2.2024 वकील उभयपक्षद्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds)के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 3.5.2023 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 2.2.2024 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी द्वारा दिनांक 13.8.2025 द्वारा एकपक्षीय बहस की गई तथा आपसी सहनति के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

W.D.

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित वर्णित कृषि भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित खाता संख्या 407 के खसरा संख्या 444 रकबा 1.2782 हैक्टैयर, खसरा संख्या 549 रकबा 1.2863 हैक्टैयर, खसरा संख्या 560 रकबा 1.3753 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 03.9398 हैक्टैयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अरांई की बंटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds) के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार अरांई को तहरीर जारी हो। बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री हेतु विभाजन प्रस्ताव:-

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	गुटका पत्नि श्रवण हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा0देह खातेदार रहन बीओबी कटसूरा	444/01 549/01 549/03 560/1	0.6391 0.2490 0.3788 0.6714	बारानी 3 चाही प्रथम चाही प्रथम बंजर प्रथम	16.87	नारंगी
	योग	4	1.9383			
2.	बन्ना पुत्र रामनाथ हिस्सा 8/21 कौम जाट सा0देह रहन बीओबी कटसूरा शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र रामनाथ कौम जाट हिस्सा 8/21 सा0देह खातेदार पारसी पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार शांति पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 जाति जाट सा0देह खातेदार सुण्डा पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सन्तोष पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सुप्यार पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार	444/02 549/04 560/2 560/5	0.6391 0.6278 0.2860 0.3854	बारानी 3 चाही प्रथम 0.4886 चा.डोल 0.1392 बंजर प्रथम बंजर प्रथम 0.2237 बारानी ए 0.1617	16.87	नीला
		04	1.9383		16.87	
3.	गुटका पत्नि श्रवण हिस्सा 1/2 कौम जाट सा0देह खातेदार पारसी पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार बन्ना पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/21 कौम जाट सा0देह खातेदार शांति पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सुण्डा पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार सन्तोष पुत्री रामनाथ हिस्सा	549/2 560/3 560/4	0.0307 0.0225 0.0100	चा0डोल 0.0307 बारानी ए 0.0225 बारानी ए 0.0100	-	भूरा

श्रीराज पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सुण्डा पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार सन्तोष पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार सुप्यार पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार					
	03	0.0632		-	

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक ~~10/10/2024~~ को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

WP
(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

वाद क्रमांक 89/2021 उनवान गुटका वनाम पारसी

1. गुटखा देवी पत्नी श्री श्रवण (फौत)
1/1 मांगीलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज
वादी

वनाम

1. पारसी देवी पत्नी रामनाथ पत्नी रोलूमल जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
2. बन्ना पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज।
3. शान्ति उर्फ छोटी देवी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम हरपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज।
4. शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज।
5. सुण्डा उर्फ सुन्दर पुत्री रामनाथ पत्नी मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज।
6. सन्तोष उर्फ सन्तोक पुत्री रामनाथ पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
7. सुप्यार पुत्री रामनाथ पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम टिकावडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
8. बैंक आफ बडौदा शाखा कटसूरा तहसील अराई जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक ।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

निर्णय दिनांक (01/10/2024)

उपस्थित : वकील वादी

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड न्यायालय अराई में पेश किया तथा बाद जांच बाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वाद में वाद पत्र के में वर्णित कृषि भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित खाता संख्या 407 के खसरा संख्या 444 रकबा 1.2782 हैक्टैयर, खसरा संख्या 549 रकबा 1.2863 हैक्टैयर, खसरा संख्या 560 रकबा 1.3753 हैक्टैयर कुल कित्ता 03 कुल रकबा 03.9398 हैक्टैयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी by meets and bounds के आधार पर विधिक विभाजन का निवेदन किया गया दिनांक 9.10.24 को वादी व प्रतिवादीगण ने विभाजन का निवेदन किया।

दिनांक 18.10.2024 को तहसीलदार अराई द्वारा प्राथमिक डिकी व आदेश दिनांक 26.7.2024 की पालना में अप्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों की उपस्थिति में बटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील वादी द्वारा दिनांक 10.10.2025 द्वारा वकील प्रतिवादी का जवाब बन्द कर एकपक्षीय बहस की गई तथा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कराने की प्रार्थना की गई।

wp

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा में वर्णित कृषि भूमि वर्णित कृषि भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित खाता संख्या 407 के खाता संख्या 444 रकबा 1.2782 हैक्टैयर, खसरा संख्या 549 रकबा 1.2863 हैक्टैयर, खसरा संख्या 560 रकबा 1.3753 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 03.9398 हैक्टैयर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित तहसीलदार अराई की बंटवारा जांच रिपोर्ट अनुसार आपसी सहमति के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी (By Mets And Bounds) के बंटवारा प्रस्ताव आधार पर वादीगण का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। तहसीलदार अराई को तहरीर जारी हो। तहसीलदार अराई से प्राप्त कमीशनर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीशनर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिकी का एक भाग होगा। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा(है.)	किस्म	लगा न	रंग
1.	गुटका पत्नि श्रवण हिस्सा पूर्ण कौम जाट सा0देह खातेदार रहन बीओबी कटसूरा	444 / 01 549 / 01 549 / 03 560 / 1	0.6391 0.2490 0.3788 0.6714	बारानी 3 चाही प्रथम चाही प्रथम बंजर प्रथम	16.87	नारंगी
	योग	4	1.9383			
2.	बन्ना पुत्र रामनाथ हिस्सा 8/21 कौम जाट सा0देह रहन बीओबी कटसूरा शिवराज उर्फ श्योराज पुत्र रामनाथ कौम जाट हिस्सा 8/21 सा0देह खातेदार पारसी पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार शांति पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 जाति जाट सा0देह खातेदार सुण्डा पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सन्तोष पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार सुप्यार पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/21 कौम जाट सा0देह खातेदार	444 / 02 549 / 04 560 / 2 560 / 5	0.6391 0.6278 0.2860 0.3854	बारानी 3 चाही प्रथम 0.4886 चा.डोल 0.1392 बंजर प्रथम बंजर प्रथम 0.2237 बारानी ए 0.1617	16.87	नीला
		04	1.9383		16.87	
3.	गुटका पत्नि श्रवण हिस्सा 1/2 कौम जाट सा0देह खातेदार पारसी पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार बन्ना पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/21 कौम जाट सा0देह खातेदार शांति पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार शिवराज उर्फ	549 / 2 560 / 3 560 / 4	0.0307 0.0225 0.0100	चा0डोल 0.0307 बारानी ए 0.0225 बारानी ए 0.0100	-	भूरा

1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार सुप्यार पुत्री रामनाथ हिस्सा 1/42 कौम जाट सा0देह खातेदार	03	0.0632	-	
---	----	--------	---	--

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10/10/2022 को खुले न्यायालय में
सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)